मैसर्स गैल (इंडिया) लिमिटेड

बनाम

बाल किशन अग्रवाल ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(सिविल अपील संख्या 4918/2008)

7 अगस्त, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत व डॉ. मुकुन्दकम शर्मा जेजे.)

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996- धारा 17- अंतरिम आदेश अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच गैस आपूर्ति के लिए समझौता- आपूर्ति बंद की गई। पुनःकनेक्शन की शर्तों पर विवाद- मध्यस्थ कार्यवाही लंबित होने के बावजूद भी प्रत्यर्थी द्वारा वाद दायर सिविल न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित अवधारित धारा 17 के तहत मध्यस्थ द्वारा अंतरिम आदेश पारित किये जा सकते है। प्रत्यर्थी को मध्यस्थ के समक्ष अंतरिम व्यवस्था के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया।

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी द्वारा गैस आपूर्ति के संबंध में एक समझौता किया गया था। गैस मीटर में छेड़छाड़ पायी गई और परिणामस्वरूप गैस की आपूर्ति बंद कर दी गई। अपीलार्थी ने पुनःकनेक्शन की शर्तों के अनुसार प्रत्यर्थी को बकाया राशि का 50 प्रतिशत और शेष राशि के लिए सिक्योरिटी जमा करने के लिए कहा। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को बिना किसी

भुगतान या सिक्योरिटी की मांग के गैस आपूर्ति के नवीनीकरण के लिए एक वाद दायर किया। प्रत्यर्थी द्वारा वांछित शर्तों के अनुसार गैस की आपूर्ति पुनः शुरू करने हेतु विचारणीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील पेश की गई।

अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि चूंकि मामला मध्यस्थ के समक्ष लंबित था। सिविल न्यायालय को सिविल वाद में कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिए था और उच्च न्यायालय द्वारा कुछ शर्तों में परिवर्तन को छोड़कर व्यावहारिक रूप से सिविल न्यायालय के आदेष की पुष्टि करना उचित नहीं था।

अपील का निपटारा करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

वर्तमान मामले में मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही लंबित है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 17 के तहत मध्यस्थ द्वारा अंतरिम आदेश पारित किये जा सकते हैं। प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार निम्नलिखित निर्देश दिये जा रहे हैः (1) 10 दिवस की अवधि के भीतर, प्रत्यर्थी मध्यस्थ के समक्ष अंतरिम आदेश के लिए उचित आवेदन करेगा (2) आवेदन की प्रति प्राप्त होने के 3 दिवस की अवधि के भीतर अपीलार्थी जवाब/आपत्ति यदि कोई हो, दाखिल करेगा और (3) तत्पश्चात 10 दिवस की अवधि के भीतर, मध्यस्थ से आवेदन का विधिनुसार निपटारा करने का

अनुरोध किया जाता है। प्रत्यर्थी वाद में लाये गये प्रस्ताव को मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। मध्यस्थ द्वारा मामले के उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जायेगा।[पैरा 7, 8] [1030 ई, एफ 1030 एफ, जी, एच, 1031 ए, बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं 4918/2008।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एफ.ए.एफ.ओ. में क्रमांक 1339-डी/2007 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांकित 18.09.2007 से।

अपीलार्थी की ओर से जी.वहनवती, एस.जी. उदित कुमार, चंचल बिस्वाल और राजीव त्यागी।

प्रत्यर्थी की ओर से टी. अंध्यारूजिना, अभिषेक मोहन सिन्हा, जया भरूका, हंसा भरूका और देवाशीष भरूका।

डॉ. अरिजीत पसायत द्वारा निर्णय पारित किया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ की अपील (एफ.ए.एफ.ओ. 1339-डी 2007) के फैसले को चुनौती दी गई, जिसे लघु वाद न्यायालय/सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) आगरा, 2007 का वाद सं. 285, विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर

अपीलार्थी द्वारा पेश की गई थी। उक्त आदेश द्वारा अंतरिम आज्ञापक निषेधाज्ञा के आवेदन को कुछ निर्देशों के साथ निस्तारित किया गया था।

3. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील की पृष्ठभूमि के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः

17.09.1996 को अपीलार्थी और प्रत्यर्थी की बीच गैस आपूर्ति के लिए समझौता किया गया। यह समझौता 31.03.2002 तक वैध था और इसे समय-समय पर 31.03.2006 तक बढ़ाया गया था। 03.12.2004 को अपीलार्थी के अधिकारियों ने प्रत्यर्थी की फैक्ट्री परिसर का निरीक्षण किया और पाया की गैस आपूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गयी है। ऐसी ही घटनाएं 15.01.2005 और 17.03.2005 को देखी गई। इसलिए 28.05.2005 को गैस आपूर्ति बंद कर दी गई। प्रत्यर्थी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष 2005 की रिट याचिका सं. 44679 दायर की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को आदेश दिनांकित 18.07.2005 द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में 'मध्यस्थता अधिनियम') की धारा 9 के तहत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था। प्रत्यर्थी द्वारा आदेश को चुनौती नहीं दी गई। प्रत्यर्थी को 10.08.2005 को अंडरटेकिंग पर गैस आपूर्ति बहाली के लिए प्रस्ताव दिया गया, जिसे स्वीकार किया गया। इसके पश्चात् 22.02.2006 को गैस आपूर्ति फिर से जोड़ दी गई। यह फिर से पाया गया कि गैस मीटर के साथ छेड़छाड़ की

गई थी, जिसके कारण 28.02.2006 को कनेक्शन काट दिया गया। 27.03.2006 को जिला न्यायाधीश, आगरा द्वारा 31.03.2006 तक गैस आपूर्ति जारी रखने का आदेश पारित किया गया था। 03.04.2006 को गैस आपूर्ति बंद कर दी गई। प्रत्यर्थी द्वारा पुनः एक रिट याचिका सं. 2283, 2006 दायर की गई। आदेश दिनांकित 01.11.2006 द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह अवधारित करते हुए रिट याचिका को निस्तारित कर दिया कि प्रत्यर्थी के लिए उचित उपाय अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करना था, चूंकि अनुबंध के विस्तार या किसी प्रस्तावित अनुबंध का लाभ देने के लिए कोई मैण्डेमस जारी नहीं किया जा सकता है। 29.03.2007 को अपीलार्थी ने पुनः कनेक्शन के लिए शर्तें रखी जिनके अनुसार, अर्थात् बकाया राशि 8,10,79,057/- रूपये का 50 प्रतिशत और अचल संपत्ति के बंधक के माध्यम से शेष राशि के लिए सुरक्षा राशि और गैस आपूर्ति के संबंध में सभी बकाया राशि का भुगतान किया जाना था। सिविल वाद सं. 285/2007 प्रत्यर्थी द्वारा दायर किया गया, जिसमें अपीलार्थी को बिना किसी भुगतान या सुरक्षा राशि की मांग किये गैस आपूर्ति के नवीनीकरण के संबंध में अनुतोष चाहा गया। अपीलार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, (संक्षेप में 'सी.पी.सी.') के आदेश 7 नियम 11 और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 के तहत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। विद्वान सिविल न्यायाधीश द्वारा आदेश दिया कि दिनांक 09.02.2006 के नये प्रस्ताव को बिना किसी अग्रिम नियम व शर्तों के प्रभावी बनाया जाये।

उपरोक्त उल्लेख अनुसार एक अपील दायर की गई थी, जिसे कुछ शर्तों पर दिनांक 18.09.2006 के आक्षेपित आदेश द्वारा निस्तारित किया। शर्तें निम्नानुसार हैं:

1. वादी-प्रत्यर्थी 2 करोड़ की राशि और 6 करोड़ की सुरक्षा राशि बॉण्ड के साथ अचल संपत्ति के दूसरे शुल्क के रूप में प्रतिवादी-अपीलार्थी को जमा करायेगा।

2. उक्त 2 करोड़ की राशि में से वादी-प्रत्यर्थी को 1 महीने की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी-अपीलार्थी को 50 लाख रूपये की राशि जमा करानी होगी। 6 करोड़ की सुरक्षा राशि भी एक माह के भीतर जमा करानी होगी।

3. वे वादी-प्रत्यर्थी के पास प्रतिमाह 5 लाख रूपये की राशि हर महीने के पहले सप्ताह में पूरे 2 करोड़ रूपये तक जमा होने तक चुकाते रहेंगे। 5 लाख रूपये की पहली किश्त नवंबर 2007 से शुरू होगी अर्थात् 5 लाख रूपये की पहली किश्त 7 नवंबर 2007 तक चुकानी होगी। उक्त किश्तें गैस की आपूर्ति की राशि के अतिरिक्त होंगी। वादी-प्रत्यर्थी को आपूर्ति की जाने वाली ये किश्तों की राशि प्रत्यर्थी-अपीलार्थी द्वारा किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक में फिक्स्ड डिपोजिट में रखी जाएगी और मध्यस्थता कार्यवाही का पालन किया जाएगा तथा उक्त शर्तें मामले के अंतिम निर्णय के अधीन होंगी।

4. वादी-प्रत्यर्थी द्वारा 50 लाख रूपये और 6 करोड़ की प्रतिभूति जमा कराने के बाद प्रतिवादी-अपीलार्थी गैस आपूर्ति फिर से शुरू करेगा।

5. उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर राशि जमा करने में चूक के मामले में गैस आपूर्ति रोकने के लिए प्रतिवादी-अपीलार्थी स्वतंत्र होगा।

6. प्रतिवादी-अपीलार्थी मीटरों का निरीक्षण करने का भी हकदार होगा और यदि मीटर में कोई छेड़छाड़ पाई जाती है, तो प्रतिवादी-अपीलार्थी वादी-प्रत्यर्थी को नोटिस देने के बाद गैस की आपूर्ति बंद करने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री जी.ई. वहनवती के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा वाद में जो अनुतोष मांगा गया है, वह विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1993 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 10 के संदर्भ में है। उक्त वांछित अनुतोष के लिए सर्वप्रथम संविदा का होना आवश्यक है। उक्त अधिनियम की धारा 39 पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर एक संविदा से उत्पन्न होने वाले दायित्व से संबंधित है। स्वतः नवीनीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं था। तथ्यतः संविदा की अवधि का विस्तार स्वतः ही नहीं हो सकता और इसे पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर किया जाना चाहिये। हस्तगत मामले में, कोई संविदा का अस्तित्व ही नहीं था, और इसलिए इस वाद में कोई अनुतोष प्रदान करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थता से संबंधित एक विशिष्ट खंड भी था। यह स्पष्ट किया गया है

कि सिविल न्यायालय उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश से अवगत था। इसलिए यह निवेदन किया जाता है कि विद्वान सिविल न्यायाधीश उस आदेश को पारित नहीं कर सकते थे जिस पर उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित था। दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना कि इससे पूर्व में 2005 की रिट याचिका सं. 44679 में न्यायालय द्वारा रिट याचिका को वैकल्पिक उपचार के आधार पर खारिज कर दिया था। उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी गयी। यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि एक मध्यस्थ को नियुक्त किया जा चुका है।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री टी. आर. अंध्यारूजिना, ने जाहिर किया कि अपीलार्थी का आचरण अनुकूल नहीं था। प्रारंभ में उनके द्वारा पुनः कनेक्शन के लिए कुछ शर्तें सुझाई गई थी, लेकिन वे इससे पीछे हट गये और यहां तक कि वे मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही के शीघ्र निस्तारण हेतु भी इच्छुक नहीं थे। यह प्रश्न, कि क्या अपीलार्थी द्वारा मांगी गई कोई राशि जुर्माने के रूप में देय है, यह मध्यस्थ के समक्ष सुनवाई की विषयवस्तु हो सकती है। चूंकि गैस आपूर्ति को पुनः शुरू करने के लिए अनुचित शर्तों का अंकन किया गया था, इसलिए प्रत्यर्थी के समक्ष सिविल वाद दायर करने के अलावा कोई विकल्प मौजूद नहीं था। इससे प्रत्यर्थी को भारी नुकसान हो रहा था तथा अन्य कई समस्याएं थी जैसे कि प्रत्यर्थी की फैक्ट्री में बड़ी संख्या में

कार्यरत कर्मचारियों का बेरोजगार हो जाना, जो फैक्ट्री से ही अपनी आजीविका कमाते थे। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से एक प्रस्ताव भी पेश किया गया है।

6. श्री वहनवती ने जाहिर किया कि चूंकि मामला मध्यस्थ के समक्ष लंबित है, इसलिए सिविल न्यायालय को कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिये था और उच्च न्यायालय द्वारा कुछ शर्तों में परिवर्तन को छोड़ कर विचारणीय न्यायालय के आदेश की व्यावहारिक रूप से पुष्टि करना उचित नहीं था।

7. यह निर्विवाद है कि मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही लंबित है। अधिनियम की धारा 17 के तहत मध्यस्थ द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है।

8. समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ अपील का निस्तारण करते हैः-

1. आज से दस दिनों की अवधि के भीतर, प्रत्यर्थी मध्यस्थ के समक्ष अंतरिम व्यवस्था के लिए उचित आवदेन करेगा।

2. आवेदन की प्रति प्राप्त होने की दिनांक से तीन दिनों की अवधि के भीतर, अपीलार्थी अपनी प्रतिक्रिया/आपत्ति, यदि कोई हो दाखिल करेगा।

3. इसके पश्चात् दस दिनों की अवधि के भीतर मध्यस्थ से विधिनुसार आवेदन का निस्तारण करने का निवेदन किया जाता है। प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को पेश करने हेतु वह स्वंतत्र है। यह जाहिर है कि मध्यस्थ द्वारा मामले पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जायेगा।

9. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने उन शर्तों, यदि कोई हो, पर कोई राय व्यक्त नहीं की है, जिन्हें लगाया जा सकता है और/या यदि मामले में किसी अंतरिम आदेश की आवश्यकता है। एतद्द्वारा, अपील का निस्तारण, हर्जे के संबंध में बिना कोई आदेश किए किया जाता है।

अपील निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायाधिकारी सुश्री नेहा चौहान (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।